

राजस्थान सरकार
शिक्षा प्रारम्भिक विभाग

क्रमांक: प. 5(8)प्राशि / 2016

जयपुर, दिनांक : 24 JUN 2016

1. निदेशक, राज. प्रारंभिक शिक्षा परिषद्/माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारंभिक / माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
3. समस्त जिला कलक्टर
4. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्।

विषय : प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों के अधिशेष शैक्षणिक कार्मिकों के पदस्थापन के सम्बन्ध में दिशा—निर्देश एवं पदस्थापन प्रक्रिया हेतु कार्यक्रम बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों में अधिशेष शैक्षणिक कार्मिकों के पदस्थापन के सम्बन्ध में इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक: 10.06.2016 एवं 24.06.2016 के अनुसार में पदस्थापन प्रक्रिया हेतु निम्नानुसार कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है :-

क्र. सं.	सम्पादित किये जाने वाले कार्य का विवरण	कार्य सम्पादन की अन्तिम तिथि	अधिकारी जिसको कार्यवाही करनी है
1.	प्रारंभिक शिक्षा के एकीकृत हुए प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21.04.2016 के अनुसार शैक्षणिक कार्मिकों के पदों का पुनर्निर्धारण एवं स्वीकृति जारी किया जाना	27.06.2016	<ul style="list-style-type: none"> ● निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर। ● निदेशक, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद्, जयपुर ● सम्बन्धित उपनिदेशक – प्रारंभिक शिक्षा ● सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी–प्रारंभिक शिक्षा
2.	इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21.04.2016 के अनुसार प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षणिक कार्मिकों के स्वीकृत पदों के अनुसार अधिशेष तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल-1 व लेवल-2 (विषयवार), प्रबोधक, पैराटीचर, शिक्षाकर्मी एवं संविदा शिक्षक का शाला दर्शन पोर्टल के माध्यम से विद्यालयवार/संवर्गवार निर्धारण तथा जिलेवार सूचीयों को निर्धारित प्रपत्र में तैयार करना।	29.06.2016	<ul style="list-style-type: none"> ● निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर। ● निदेशक, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद्, जयपुर ● सम्बन्धित उपनिदेशक – प्रारंभिक शिक्षा ● सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी–प्रारंभिक शिक्षा
3.	शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग के आदेश क्रमांक-17(2) शिक्षा-2 / 2003 दिनांक 08.05.2016 के अनुसार कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को लौटाये गये शिक्षक/संविदा कार्मिक/शारीरिक शिक्षक एवं इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21.4.2016 के अनुसार विद्यालयवार पदों के निर्धारण एवं एकीकृत प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षणिक कार्मिकों के पदों के पुनर्निर्धारण के पश्चात् प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों में अधिशेष तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल-1 तथा लेवल-2 (विषयवार), प्रबोधक, पैराटीचर, शिक्षाकर्मी एवं अन्य संविदा शिक्षक की सूची एवं संवर्गवार पदस्थापन हेतु उपलब्ध रिक्तियों का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट तथा कार्यालय नोटिस बोर्ड पर करना।	01.07.2016 तक	<ul style="list-style-type: none"> ● सम्बन्धित मुख्य कार्यकारी अधिकारी–जिला परिषद् ● सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी– प्रारंभिक शिक्षा


602

4. जिला स्तरीय कमेटी द्वारा निम्नानुसार काउन्सलिंग की कार्यवाही की जायेगी:- <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">दिनांक</th><th style="text-align: center;">विवरण</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">08.07.16</td><td>प्रबोधक, पैराटीचर, शिक्षाकर्मी एवं अन्य समस्त संविदा कर्मी</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">09 व 10.07.16</td><td>तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल—प्रथम एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग से प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में प्राप्त शारीरिक शिक्षक</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">11 व 12.07.16</td><td>तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल—द्वितीय (विषयवार)</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">13.07.16</td><td>काउन्सलिंग में अनुपस्थित रहे समस्त शिक्षक / संविदाकर्मी</td></tr> </tbody> </table>	दिनांक	विवरण	08.07.16	प्रबोधक, पैराटीचर, शिक्षाकर्मी एवं अन्य समस्त संविदा कर्मी	09 व 10.07.16	तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल—प्रथम एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग से प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में प्राप्त शारीरिक शिक्षक	11 व 12.07.16	तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल—द्वितीय (विषयवार)	13.07.16	काउन्सलिंग में अनुपस्थित रहे समस्त शिक्षक / संविदाकर्मी	08.07.2016 से 13.07.2016 तक	<ul style="list-style-type: none"> ● सम्बन्धित मुख्य कार्यकारी अधिकारी—जिला परिषद् ● सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी— प्रारंभिक शिक्षा
दिनांक	विवरण											
08.07.16	प्रबोधक, पैराटीचर, शिक्षाकर्मी एवं अन्य समस्त संविदा कर्मी											
09 व 10.07.16	तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल—प्रथम एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग से प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में प्राप्त शारीरिक शिक्षक											
11 व 12.07.16	तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल—द्वितीय (विषयवार)											
13.07.16	काउन्सलिंग में अनुपस्थित रहे समस्त शिक्षक / संविदाकर्मी											
5. काउन्सलिंग प्रक्रिया पूर्ण होने पर पदस्थापन/समायोजन के आदेश जारी करना।	15.07.2016	<ul style="list-style-type: none"> ● सम्बन्धित मुख्य कार्यकारी अधिकारी—जिला परिषद् ● सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी— प्रारंभिक शिक्षा 										

कृपया उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार कार्य सम्पादन किया जाना सुनिश्चित किया जावें। उपरोक्त अधिशेष शिक्षक / कार्मिकों की वरियता निर्धारण करने के सम्बन्ध में प्रपत्र निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर तथा निदेशक, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर द्वारा पृथक से जारी किया जावे।

भवदीय,

संलग्न :—समसंख्यक पत्र दिनांक 24.06.2016


 (बी. आर. चौधरी)
 शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. निजी सचिव, सचिव, मा.मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा.शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, मा.पंचायती राज मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायतीराज विभाग।
6. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
7. संयुक्त शासन सचिव, प्रारंभिक (आयोजना) शिक्षा।
8. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग।
9. उप निदेशक, प्रारंभिक / माध्यमिक शिक्षा समर्त संभाग।
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्राशि / माशि को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त तिथियों के अनुसार कार्य सम्पादन सुनिश्चित किया जावें तथा निर्देशों की कड़ाई से पालना की जावे।
11. रक्षित पत्रावली।


 (जगदीश नारायण जाट)
 शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
प्रारंभिक शिक्षा विभाग

क्रमांक: प. 5(8) / प्राशि / 2015

जयपुर, दिनांक 24 JUN 2016

1. निदेशक, राज.माध्यमिक शिक्षा परिषद/राज.प्रारंभिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारंभिक / माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. समस्त जिला कलक्टर।
4. समस्त मुख्य-कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद।

विषय— अधिशेष शैक्षणिक कार्मिकों का रिक्त पदों वाले विद्यालयों में समायोजन/पदस्थापन के संबंध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

1. प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षणिक कार्मिकों के पदों के मानदण्ड के निर्धारण एवं समानीकरण हेतु आदेश क्रमांक प. 5 (8) / प्राशि / 2016 दिनांक 21.04.2016 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये हैं। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार विद्यालयवार स्वीकृत पदों के निर्धारण एवं अधिशेष शैक्षणिक कार्मिकों के चिन्हिकरण की कार्यवाही की जानी है। इन अधिशेष शैक्षणिक कार्मिकों का रिक्त पदों वाले अन्य विद्यालयों में समायोजन/पदस्थापन किया जाना है।
2. माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में सृजित तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पदों को भरने के लिए राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम के नियम 6 डी के तहत सेटअप परिवर्तन उपरान्त काउन्सिलिंग के माध्यम से पदस्थापन/समायोजन की कार्यवाही हेतु शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग के आदेश क्रमांक: प. 17(2)शिक्षा-2/2003 दिनांक 08.05.2016 द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये हैं। जिसके तहत कार्यवाही पूर्ण करने उपरान्त माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में कार्यरत पंचायतीराज सेटअप के वे शिक्षक/कार्मिक जिनका सेटअप परिवर्तन नहीं हुआ है, प्रारंभिक शिक्षा विभाग/पंचायतीराज विभाग में वापस आ जावेंगे। इन सभी कार्मिकों का भी प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के रिक्त पदों पर समायोजन/पदस्थापन किया जाना है।
3. इसके अतिरिक्त शून्य नामांकन वाले विद्यालयों के शिक्षक/कार्मिकों का समायोजन/पदस्थापन प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों पर किया जाना है।
4. बिन्दु संख्या -1, 2 व 3 के अनुसार उपलब्ध अधिशेष कार्मिकों का पदस्थापन/समायोजन प्रारंभिक शिक्षा/ पंचायतीराज विभाग के अधीन संचालित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के रिक्त पदों पर जिला स्तर पर काउन्सिलिंग के माध्यम से किया जाना है।

5. काउन्सलिंग की प्रक्रिया सम्पादित करने हेतु निम्नानुसार जिला स्तरीय कमेटी को अधिकृत किया जाता है:-
1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी संबंधित जिला परिषद— अध्यक्ष
 2. जिला कलक्टर द्वारा नामित
अतिरिक्त जिला कलक्टर स्तर का अधिकारी — सदस्य
 3. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रथम), माध्यमिक शिक्षा — सदस्य
 4. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा (द्वितीय) — सदस्य
 5. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा (प्रथम) — सदस्य सचिव
6. उपरोक्त समिति निम्नलिखित दिशा—निर्देशों के तहत अधिशेष कार्मिकों के पदस्थापन/समायोजन के प्रस्ताव काउन्सलिंग प्रक्रिया के माध्यम से तैयार करेगी:-
- (i) अधिशेष शिक्षकों/कार्मिकों के समायोजन/पदस्थापन की कार्यवाही प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा—निर्देश दिनांक 21.04.2016 के बिन्दु संख्या 10 के अनुसार संवर्गवार काउन्सलिंग के माध्यम से की जावेगी।
- (ii) जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा द्वारा अध्यापकों/शैक्षणिक कर्मियों की वरीयता एवं रिक्तियों का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट तथा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर किया जाकर, वरीयता सूची में निर्धारित कमानुसार काउन्सलिंग कैम्प (परामर्श शिविर) आयोजित किया जावेगा। वरियता कम का निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगा:-
- a) 40 प्रतिशित से अधिक दिव्यांग एवं असाध्य रोग से पीड़ित अभ्यर्थी (जिले में कार्यग्रहण तिथि के कम में)
 - b) विधवा एवं परित्यक्ता महिला अभ्यर्थी (जिले में कार्यग्रहण तिथि के कम में)
 - c) महिला अभ्यर्थी (जिले में कार्यग्रहण तिथि के कम में)
 - d) शेष अभ्यर्थी (जिले में कार्यग्रहण तिथि के कम में)
- (iii) कार्मिक द्वारा (परामर्श कैम्प में) चयनित रिक्त स्थान पर पदस्थापन के आदेश कैम्प के दिन ही जारी कर, वेबसाइट एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित किये जायेंगे।
- (iv) जो अध्यापक लेवल—A एवं लेवल—B (विषयवार) Counselling (परामर्श प्रक्रिया) में अनुपस्थिति रहेंगे, उनके Counselling (परामर्श प्रक्रिया) पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा द्वारा प्रकाशित रिक्तियों में से शेष रहे पदों पर पदस्थापन के आदेश कैम्प के दिन ही जारी कर वेबसाइट एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित किये जायेंगे।
- (v) पंचायती राज सेटअप के अधिशेष कार्मिकों/शिक्षकों का पदस्थापन/समायोजन केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही किया जावेगा।

- (vi) आदेश जारी करने से पूर्व उपलब्ध रिकितयों एवं कार्मिक की विगत (सही Details Where about) की सही जांच कर आदेश जारी किये जावें, त्रुटियां नहीं हों। संस्थागत त्रुटियां होने पर संबंधित के विरुद्ध विभागीय जांच सुनिश्चित की जावे।
- (vii) शून्य नामांकन वाले विद्यालयों में पदस्थापन/समायोजन नहीं किया जायेगा।
- (viii) यह सुनिश्चित किया जावेगा कि पदस्थापन/समायोजन की प्रक्रिया के पश्चात् कोई भी विद्यालय (**शून्य नामांकन वाले विद्यालय को छोड़कर**) शिक्षक विहिन नहीं रहे।
- (ix) ऐसे प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय, जिनका एकीकरण (Merge) माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में हो चुका है, उनमें अधिशेष शैक्षणिक कार्मिकों का समायोजन/पदस्थापन नहीं किया जाएगा।
7. काउन्सलिंग के पश्चात् उपरोक्त समिति द्वारा तैयार किये गये प्रस्ताव के अनुसार शिक्षकों/कर्मियों के पदस्थापन/समायोजन के आदेश जिला परिषद की स्थापना समिति से अनुमोदन करवाकर जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शि. द्वारा जारी किये जायेंगे। जिला परिषद की स्थापना समिति द्वारा समय पर प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं करने की स्थिति में, मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्ताव राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु भिजवाये जायेंगे।

उक्त आदेश प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग के सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,

24/6/16
(बी.आर. चौधरी)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. निजी सचिव, सचिव, मा० मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा.शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, मा.पंचायती राज मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुंक्त पंचायतीराज विभाग।
6. निजी सचिव, शासन विशिष्ट सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
7. संयुक्त शासन सचिव, प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) विभाग।
8. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग।
9. उप निदेशक, प्रारंभिक / माध्यमिक शिक्षा समस्त संभाग।
10. जिला शिक्षा अधिकारी, प्राशि / माशि, समस्त जिले।
11. रक्षित पत्रावली।

24/6/16
(जगदीश नारायण जाट)
शासन सहायक सचिव